न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0 अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–03, आगरा।
पीठासीन अधिकारी–रविकरण सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP 2400
CNR No.UPAG01-012707-2020
एस.एस.टी. नं0 2630/2020

उत्तर प्रदेश राज्य ––––– अभियोजक

बनाम

रवि उर्फ भोला पुत्र रामबाबू, निवासी पीली पोखर, थाना ताजगंज, जिला आगरा।
––––– अभियुक्त

अपराध संख्या–741/2020
धारा–411, 414 भा0द0सं0 व
15 डी0ए0ए0 एक्ट
थाना–ताजगंज, जिला आगरा

<u>नि र्ण य</u>

थाना ताजगंज, जिला आगरा की पुलिस द्वारा अभियुक्त भोला उर्फ रवि के विरूद्ध मु0अ0सं0 741/2020 अन्तर्गत धारा–411, 414 भा0द0सं0 व 15 डी0ए0ए0 एक्ट में विचारण हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा वादी उप निरीक्षक योगेश कुमार के द्वारा दिनांक 30.09.2020 को 08–15 बजे गढी ठाकुरदास के पास रोहता नहर के किनारे थाना ताजगंज, जिला आगरा में आपको गिरफ्तार किया गया तथा आपके तथा सह अभियुक्तगण के संयुक्त कब्जे से अंगूठी, कुण्डल पीलीधातु के पाजेब बरामद हुआ, जिनको आपके द्वारा चोरी की होना तथा बेचने के लिये ले जाना बताया है। माल को मौके पर सील मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया तथा फर्द मौके पर तैयार की गयी।

वादी मुकदमा की फर्द बरामदगी/तहरीर के आधार पर इस मामले का अभियोग संबंधित थाना ताजगंज, आगरा में अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं0 741/2020 पर धारा 41/102द0प्र0सं0 व धारा–411, 414 भा0द0सं0 व 15 डी0ए0ए0 एक्ट पंजीकृत किया गया तथा विवेचनोपरान्त अभियुक्त भोला उर्फ रवि व अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–411, 414 भा0द0सं0 व 15 डी0ए0ए0 एक्ट प्रेषित किया गया ।

दौरान विचारण अभियुक्त रवि उर्फ भोला की ओर से न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर उसका बयान अंकित किया गया। अभियुक्त के द्वारा अपने बयान में अभियोजन कथानक को सही होना बताया है तथा विवेचनाधिकारी द्वारा सही आरोप पत्र प्रेषित किया जाना बताया है

तथा चोरी किये गये सामान के साथ पकडे जाने पर मुकदमा चलना बताया है तथा उसका द्वारा कहा गया है कि उसने स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया है।

अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा की गयी अपराध की संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त रवि उर्फ भोला के विरूद्ध लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। तद्नुसार अभियुक्त को धारा–411, 414 भा0द0सं0 व 15 डी0ए0ए0 एक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित है।

सजा के बिन्दु पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच उपरान्त पेश हो।

दिनांक 22.06.2023

(रविकरण सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0),
न्यायालय सं03, आगरा।

पत्रावली लंच उपरान्त पुनः पेश हुई।

सजा के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी को सुना गया।

अभियुक्त की ओर से कहा गया कि वह नवयुवक है, वह बहुत ही गरीब है, उसका कोई पैरोकार नही है। उसकी आर्थिक स्थित अच्छी नहीं है। यह भी कहा गया कि वह काफी समय से जेल में है, उसके साथ उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए कम से कम सजा दिए जाने की याचना की गयी है।

विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराध है, तथा अभियुक्त ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है, अतः अधिकतम् दण्ड से दण्डित किया जाये।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रवि उर्फ भोला को धारा 411, 414 भा0द0सं0 15 दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम के आरोप में दोषीसिद्ध पाते हुये निम्नप्रकार से दण्डित किया जाता है –

1– अभियुक्त को धारा 411 भा0द0सं0 के अपराध में दो वर्ष छः माह के कारावास से दण्डित किया गया है।

2– अभियुक्त को धारा 414 भा0द0सं0 के अपराध में दो वर्ष छः माह के कारावास से दण्डित किया गया है।

3— अभियुक्त को धारा 15 दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम में उसे दो वर्ष आठ माह के कारावास व 500/—रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त सात दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्त की सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि को उसकी सजा की अवधि में समायोजित किया जायेगा।

अभियुक्त का सजायावी वारण्ट बनाकर उसे अविलम्ब अधीक्षक, जिला कारागार, आगरा को भेजा जाय।

निर्णय की प्रति अभियुक्त को अविलम्ब नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांक 22.06.2023

(रविकरण सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0),
न्यायालय सं0—03, आगरा।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 22.06.2023

(रविकरण सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0),
न्यायालय सं0—03, आगरा।